कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/नकारा/अनुपयोगी समान/अभिलेख निस्तारण/2801/3/2023–05160 दिनांकः As in E-sign

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)–माध्यमिक।

विषय : नकारा समान के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत्।

प्रसंगः श्रीमान् शासन सचिव, स्कूल शिक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक : 27.04.2024 प्रदत्त निर्देश के क्रम में बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक : शिविरा–माध्य/मोनि/सचिव बैठक/2024–25 दिनांक–28.04.2024 राजकाज रेफरेन्स नम्बर 6823718

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आप अपने क्षेत्राधिकार में समस्त राजकीय कार्यालय एवं राजकीय विद्यालयों में नकारा समान का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का निस्तारण सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट–II के नियम 16 से 27 में अंकित प्रावधानों के अनुसार करने की कार्यवाही करें । नकारा सामग्री के निस्तारण हेतु शक्तियां सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट–III के आईटम संख्या–11 के अनुसार होगी ।

नाकारा समान निस्तारण संबंधी नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निम्नानुसार निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें :–

1. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–II के नियम 18 के तहत सामान के निरीक्षण/सर्वेक्षण के लिए समिति का गठन किया जाना।
2. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–II के नियम 18 के तहत गठित समिति द्वारा प्रपत्र 5 व 6 मे मय हस्ताक्षर रिर्पोट प्राप्त करना।
3. निरीक्षण/सर्वेक्षण रिर्पोट के आधार पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–III के आईटम सं.– 11 के अन्तर्गत बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी घोषित करना।
4. बेशी/अप्रचलित/अनुपयोगी सामान जो निलामी द्वारा निस्तारण किया जाना है, कि निलामी हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–II के नियम 22 के अन्तर्गत निलामी समिति का गठन करना।
5. गठित निलामी समिति की सहमति के आधार पर निलामी सूचना जारी करना एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–II के नियम 25 के अन्तर्गत प्रचार–प्रसार करना।
6. जिस कार्यालय/विद्यालय मे लेखाकर्मी का पद रिक्त है वहां जिले मे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल मे संयुक्त निदेशक, जिला/मण्डल मे कार्यरत लेखाकर्मी को सर्वे एवं निलामी समिति मे मनोनीत करेगें तथा निलामी की कार्यवाही सम्पन्न करना।
7. नकारा समान का निस्तारण कर राजस्व अर्जित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
8. आपके क्षेत्राधिकार में यह सुनिश्चित करे कि कबाड़/नाकारा समान के कारण विद्यालय के कक्षा कक्ष अवरूद्ध न रहे तथा ऐसी स्थिति में संबंधित कार्यालय अध्यक्ष एवं नियंत्रण अधिकारी की जिम्मेवारी तय की जावें।
9. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आदेश क्रमांक : एफ.5(324)/DoiT/Tech/08/1429 दिनांक : 13.06.2008 तथा Rajasthan E-Governance IT & ITeS Policy 2015 में प्रदत्त निर्देश/नियम तथा समय–समय पर जारी निर्देशों/नियमों के क्रम में नकारा कम्प्यूटर एवं प्रिंटर आदि का नियमानुसार एक कमेटी का गठन कर निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1.सिस्टम ऐनालिस्ट,कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु
2.सम्पादक , शिविरा अनुभाग,कार्यालय हाजा को प्रकाशन हेतु।
3.सहायक निदेशक (मॉनिटरिंग), कार्यालय हाजा को अ0टि0 क्रमांक : शिविरा/माध्य/मॉनिट/अति.मु.स./मु.स/49112/2022–23 दिनांक : 29.04.2024 राजकाज रेफरेन्स नं0 6828746 के क्रम में।

RajKaj Ref
7252622

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Dhawan
Designation : Financial Advisor
Date: 2024.05.17 12:08:36 IST
Reason: Approved

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।